विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम :	जल शक्ति विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकितः	2247
उत्तर की तिथिः	11.08.2022
विषयः	जल संरक्षण
प्रश्नकर्ता का नामः	श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल–कोटखाई)
संबंधित मन्त्रीः	जल शक्ति मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :– (क) सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए क्या–क्या उपाय किए जा रहे हैं; और	(क) व (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) क्या सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अनुदान देती है; ब्यौरा दें?	

अतारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 2247, जोकि श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल–कोटखाई) द्वारा पूछा गया है, से संबंधित सूचना।

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जल–संरक्षण के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं तथा विभाग को जल संरक्षण के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश दिये जाते हैं। जल संरक्षण हेतु वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान का प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत पुराने जल स्त्रोतों का नवीनीकरण एवं सुधार किया गया और पुराने हैण्डपम्पों का भूजल पुनर्भरण किया गया है। अभी तक जल शक्ति विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 59,49,181 घन मीटर की स्टोरेज क्षमता वाली 1167 वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। स्वर्णिम जयन्ती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान को प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के हर एक जल शक्ति उपमण्डल में एक–एक जल संरक्षण संरचना बनाने की घोषणा की गई। जल शक्ति विभाग द्वारा जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत कुल 174 जल संरक्षण संरचना बनाने का लक्ष्य रखा गया था जिनकी कुल अनुमानित लागत 113.67 करोड़ रूपये है तथा भण्डारण क्षमता 173,85,79 घन मीटर है। अब तक इनमें से 100 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 74 का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

नाबार्ड के अन्तर्गत गत चार वर्षों में 3 जल संरक्षण संरचनाओं की डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई है जिनकी कुल लागत 1394.87 लाख रूपये है तथा 11 वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दी गई है जिसकी कुल लागत 7853.38 लाख रूपये है तथा वर्तमान में यह डी0पी0आर0 नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश में 7 जिलों की 39 तहसीलों, 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक जल संरचना की विस्तृत रिपोर्ट विभाग द्वारा तैयार की जा रही है जिसकी अनुमानित लागत 489.44 करोड़ रूपये की है।

इसी दिशा में बढ़ते हुए केन्द्रीय जल भूमि बोर्ड उत्तरी हिमालय क्षेत्र धर्मशाला और भू–जल संगठन ऊना, जल शक्ति विभाग द्वारा मार्च 2020 में हिमाचल प्रदेश के गतिशील भू–जल संसाधनों पर एक संयुक्त अध्ययन किया गया जिसका उद्देश्य राज्य

के भू–जल संसाधनों का डाटाबेस तैयार करना है, जोकि भू–जल डॉमेन के तहत भविष्य की योजना के लिये सहायक साबित होगा। अध्ययन के अनुसार राज्य में भू–जल विकास का समग्र चरण 36.25 प्रतिशत है। रिपोर्ट निर्दिष्ट करती है कि वर्तमान में राज्य के भू–जल संसाधनों के विकास की पर्याप्त गुंजाइश है।

गत चार वर्षों में वर्षा जल संरक्षण के लिये नाबार्ड के अन्तर्गत कुल 2789.01 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया था, जिसमें से 2432.31 लाख रूपये खर्च किये गये तथा इस वर्ष भी वर्षा जल संरक्षण संरचना के लिये नाबार्ड के तहत 1283.10 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना प्रदेश में विश्व बैंक एवं केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित कार्यक्रम वर्ष 2017 से कार्यान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में जल विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं वितरण हेतु एक सुदृढ़ एवं समग्र प्रणाली का विकास एवं रख–रखाव करना है जिसके लिए इस परियोजना में 81.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सतही जल, भूजल व मौसम सम्बन्धित आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए भौतिक आधारभूत ढांचे की स्थापना व आंकड़ों के सत्यापन व भंडारण हेतु प्रावधान किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भूजल आंकड़ों के लिए 131 पीजोमीटर बोरवैल डिजीटल जल स्तर रिकार्डर के साथ, स्तहीय जल आंकडों के लिए 101 स्वचालित वर्षा मापक यन्त्र, 20 मौसम सम्बन्धित आबजरवेटरी व 18 बर्फ मापक यन्त्रों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त वास्तविक समय आधार पर पानी का बहाव नापने के लिए 11 यंत्र हिमाचल की विभिन्न नदियों में लगाएं जाएगें।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में चश्मों के अध्ययन के लिए भी NIH Roorkee से समझौता किया गया है। जल विज्ञान परियोजना से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग भविष्य में जल संरक्षण के कार्यों को वैज्ञानिक आधार पर कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा।

(ख) जल शक्ति विभाग द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिये किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

.....